



परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)

(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

वेस्टर्न सेक्टर, अणुशक्तिनगर, मुंबई / Western Sector, Anushaktinagar, Mumbai – 400094

प.ऊ.शि.सं./प.ऊ.वि. प्रवेश परिपत्र/2020-21/सी-15

10 जनवरी, 2020

प.ऊ.वि. बच्चों (डी.ए.ई. वार्ड) हेतु

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्री-प्रेप से XII तक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश परिपत्र

इस परिपत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्ण नियंत्रणाधीन घटक यूनिटों, परियोजनाओं, सहायता प्राप्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्री-प्रेप से XII तक कक्षाओं में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश हैं। मुंबई केंद्र पर स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प.ऊ.वि. बच्चों (डी.ए.ई. वार्ड) के प्रवेश हेतु समस्त प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पूर्ण होगी।

सभी डी.ए.ई. वार्ड के लिए कक्षा-1 में नया प्रवेश लेना अनिवार्य है, चाहे वे परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के विद्यालयों की प्री-प्रेप या प्रेप कक्षाओं में पढ़ रहे हैं या नहीं।

1. पात्रता

- I. प.ऊ.वि. सचिवालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्ण नियंत्रणाधीन घटक यूनिटों, परियोजनाओं, सहायता प्राप्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं। ऐसे सभी बच्चों को प.ऊ.वि. बच्चे (डी.ए.ई. वार्ड) माना जायेगा।
- II. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मचारियों के बच्चे और अन्य जिनके लिए प.ऊ.शि.सं./प.ऊ.वि. का विशिष्ट अनुमोदन अस्तित्व में होगा, को प्रवेश प.ऊ.वि. बच्चों के समान तब तक विचारणीय होगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी प.ऊ.वि. की यूनिटों में कार्यरत रहते हैं। ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को प.ऊ.वि. कर्मचारियों के बच्चों के समान शुल्क देना होगा। प.ऊ.वि. या इसकी घटक यूनिटों से कर्मचारियों के छोड़ जाने पर यह रियायत बंद हो जायेगी। यदि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मचारी प.ऊ.वि. यूनिटों से बाहर अपने स्थानांतरण पर परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना जारी रखना चाहते हैं तो कर्मचारी को गैर-प.ऊ.वि. बच्चों के लिए निर्धारित दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।
- III. ऐसे प.ऊ.वि. कर्मचारी जो अधिवर्षिता प्राप्त हैं या सेवा काल में मृत हो गए हैं या सेवा काल में अविधिमान्य हो गए हैं, के बच्चों को प्रवेश के लिए प.ऊ.वि. बच्चों के समान माना जायेगा।
- IV. परमाणु ऊर्जा विभाग की संपर्क यूनिटों में कार्यरत खुफिया ब्यूरो कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश प.ऊ.वि. बच्चों के समान तब तक माना जायेगा जब तक खुफिया ब्यूरो कर्मचारी परमाणु ऊर्जा विभाग की संपर्क यूनिटों में कार्यरत रहते हैं। खुफिया ब्यूरो कर्मचारी के प.ऊ.वि. के छोड़ जाने पर यह रियायत बंद हो जायेगी। ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को प.ऊ.वि. कर्मचारियों के बच्चों के समान शुल्क देना होगा। प.ऊ.वि. या इसकी घटक यूनिटों से कर्मचारियों के छोड़ जाने पर यह रियायत बंद हो जायेगी। यदि खुफिया ब्यूरो कर्मचारी प.ऊ.वि. यूनिटों से बाहर अपने स्थानांतरण पर परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना जारी रखना चाहते हैं तो कर्मचारी को गैर-प.ऊ.वि. बच्चों के लिए निर्धारित दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।

2. आयु

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए 31 मार्च, 2020 को न्यूनतम और अधिकतम आयु पात्रता निम्नवत् है:

कक्षा	श्रेणी	जिस वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है उस वर्ष 31 मार्च को न्यूनतम आयु	जिस वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है उस वर्ष 31 मार्च को अधिकतम आयु
प्री-प्रेप	प.ऊ.वि.	3 वर्ष	5 वर्ष
प्रेप	प.ऊ.वि.	4 वर्ष	6 वर्ष
I	प.ऊ.वि.	5 वर्ष	7 वर्ष
II	प.ऊ.वि.	6 वर्ष	8 वर्ष
III	प.ऊ.वि.	7 वर्ष	9 वर्ष
IV	प.ऊ.वि.	8 वर्ष	10 वर्ष
V	प.ऊ.वि.	9 वर्ष	11 वर्ष
VI	प.ऊ.वि.	10 वर्ष	12 वर्ष
VII	प.ऊ.वि.	11 वर्ष	13 वर्ष
VIII	प.ऊ.वि.	12 वर्ष	14 वर्ष
IX	प.ऊ.वि.	13 वर्ष	15 वर्ष
X	प.ऊ.वि.	14 वर्ष	16 वर्ष

3. प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र (एडमिशन फॉर्म) जमा करने की प्रक्रिया:

<p>बाहरी केंद्रों के विद्यालयों के लिए लागू</p>	<p>प्रवेश प्रपत्र परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत् भरे आवेदन फॉर्म रु.100/- राशि के आवेदन शुल्क के साथ प्रवेश के लिए आवासीय क्षेत्र (रेजीडेन्शियल ज्यूरिसडिक्शन) के अनुसार परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय/ कनिष्ठ महाविद्यालय में जमा किए जाने चाहिए।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>आवेदन शुल्क रु.100/- का भुगतान कर प्रवेश प्रपत्र किसी भी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय के कार्यालय से भी खरीदा जा सकता है। हालांकि, विधिवत् रूप से भरे आवेदन पत्र प्रवेश के लिए आवासीय क्षेत्र (रेजीडेन्शियल ज्यूरिसडिक्शन) के अनुसार परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय/ कनिष्ठ महाविद्यालय में जमा किए जाने चाहिए।</p>
<p>केवल मुंबई स्थित प.ऊ.कें. विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालय के लिए लागू</p>	<p>मुंबई केंद्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित तिथियों के दौरान केवल परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदक को बिलिंग (जहाँ वे रहते हैं) का नाम* चुनना होगा और क्षेत्र के अनुसार स्वतः विद्यालय का चयन हो जायेगा। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, माता-पिता, पता, भाई-बहन और संपर्क व्योरा भरना और जमा करना होगा। प्रपत्र (फॉर्म) के सफलतापूर्वक जमा हो जाने पर सिस्टम जनित एक ई-मेल माता-पिता के ई-मेल आईडी पर भेजी जायेगी जिसमें अस्थायी छात्र आईडी होगी। इसके बाद आवेदक को छात्र आईडी का प्रयोग करते हुए 'एसबी क्लैक्ट' [डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीज़ा/रुपये) या नेट बैंकिंग] के माध्यम से विद्यालय शुल्क का भुगतान करना होगा और एडमिशन पोर्टल पर भुगतान रसीद के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था द्वारा परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय-3, मुंबई और परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय-4, मुंबई के परिसरों में 13.01.2020 से 24.01.2020 तक दो सहायता केंद्रों की सुविधा प्रदान की जायेगी। शुल्क भुगतान के समय रु.100/- राशि का आवेदन शुल्क लिया जायेगा।</p> <p>प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय माता-पिता को कोई समस्या हो तो वे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय-3, मुंबई और परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय-4, मुंबई में उपलब्ध सहायता केंद्रों से सहायता ले सकते हैं। ये सहायता केंद्र ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रक्रिया के दौरान सभी कार्य दिवसों को अपराह्न 02.00 से अपराह्न 05.00 तक चालू रहेंगे।</p> <p>* अणुशक्तिनगर कालोनी से बाहर रहने वाले आवेदकों के लिए प्रवेश अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंधन समिति, मुंबई द्वारा आबंटित किए जायेंगे।</p>

4. प्रवेश कार्यक्रम:

क. मुंबई से बाहर स्थित केंद्रों के प.ऊ.कें.विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालयों हेतु प्रवेश कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	तारीख	समय
01	प्री-प्रेप से कक्षा-X तक के लिए प्रवेश फॉर्म का वितरण	13-01-2020 से 24-01-2020	9 पूर्वा. से 1 अप.
02	सभी पुष्टिकारक दस्तावेजों सहित विधिवत् भरे प्रवेश फॉर्म जमा करना	27-01-2020 से 30-01-2020	9 पूर्वा. से 1 अप.
03	प्री-प्रेप से कक्षा-X तक के लिए प्रवेश हेतु पात्र और अर्ह पाये गए छात्रों की सूची का प्रदर्शन	05-02-2020	2.00 अप.
04	प्री-प्रेप से कक्षा-X तक के लिए प.ऊ.वि. बच्चों का प्रवेश	10-02-2020 से 15-02-2020	9 पूर्वा. से 1 अप.
05	कक्षा- XI व XII में प्रवेश बोर्ड परीक्षा परिणामों के बाद किया जायेगा।	---	---

ख. मुंबई केंद्र पर स्थित प.ऊ.कें.विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालय हेतु प्रवेश कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	तारीख	समय
01	आवेदकों का पंजीकरण ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल 2020-21 के माध्यम से (प्री-प्रेप से कक्षा-X तक के लिए)	13-01-2020 से 24-01-2020	पंजीकरण शुरू होने की तिथि को मध्य रात्रि 12:00 बजे से
02	शुल्क भुगतान के लिए पात्र आवेदकों के अस्थायी विशिष्ट आईडी का प्रदर्शन	30-01-2020	पंजीकरण आरंभ होंगे और
03	पात्र आवेदकों के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान	31-01-2020 से 05-02-2020	पंजीकरण की अंतिम तिथि को अप. 11:59 बजे
04	सभी पुष्टिकारक दस्तावेजों और भुगतान रसीद की अपलोडिंग	06-02-2020 से 12-02-2020	पंजीकरण समाप्त हो जायेंगे।
05	प्री-प्रेप से कक्षा- X तक प.ऊ.वि. बच्चों का प्रवेश	14-02-2020 से 19-02-2020	
06	कक्षा- XI व XII में प्रवेश बोर्ड परीक्षा परिणामों के बाद किया जायेगा।	---	---

नोट: (i) केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. के पूर्व अनुमोदन के बिना इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

(ii) आवेदन/प्रवेश प्रपत्र जमा, चयन सूची और अंतिम प्रवेश का प्रदर्शन/घोषणा आवासीय क्षेत्र के अनुसार संबंधित प.ऊ.कें. विद्यालय में किया जायेगा। ऐसे केंद्र जहां एक से अधिक विद्यालय हैं, वहां आवासीय क्षेत्र से इतर प्रवेश देने के लिए परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

5. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश के इच्छुक प.ऊ.वि. विद्यार्थियों द्वारा शुल्क का भुगतान:

- ऑनलाइन शुल्क भुगतान के समय अन्य शुल्कों के साथ प्रवेश शुल्क राशि रु.100/- का भुगतान (ऑनलाइन एडमिशन अर्थात मुंबई स्थित विद्यालयों के लिए) करना होगा।
- प्रवेश (एडमिशन) के समय प्रवेश शुल्क राशि रु.100/- का भुगतान (ऑफलाइन एडमिशन अर्थात मुंबई से बाहर स्थित विद्यालयों के लिए) करना होगा।
- प.ऊ.वि. श्रेणियों के सभी बच्चों से अन्य शुल्क अवधि (टर्म)/वार्षिक (अर्थात एक शैक्षणिक सत्र के छः माह/बारह माह) आधार पर प्रवेश दिये जाने के समय लिए जायेंगे। अवधि शुल्क (टर्म फी) के भुगतान के संबंध में दूसरा अवधि शुल्क उस शैक्षणिक सत्र के अक्टूबर माह में जमा किया जाना चाहिए।
- प.ऊ.वि. (डी.ए.ई. वार्ड), सी.आई.एस.एफ., आई.बी. और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोई शुल्क रियायत लागू नहीं होगी।
- प.ऊ.वि. श्रेणी के तहत प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए शुल्क:

कक्षा	शिक्षण शुल्क	पी.यू.वी.वी.एन. शुल्क	कम्प्यूटर शुल्क
प्री-प्रेप से प्रेप	रु.900/-प्रति माह	रु.300/-प्रति माह	-
I से V	रु.900/-प्रति माह	रु.300/-प्रति माह	रु.30/-प्रति माह
VI से X	रु.900/-प्रति माह	रु.300/-प्रति माह	रु.30/-प्रति माह
XI और XII	रु.900/-प्रति माह	रु.300/-प्रति माह	रु.30/-प्रति माह

छूट:

केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनकी तीसरी संतान बालिका है और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की तीसरी संतान को केवल शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट होगी जिसके लिए उन्हें यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विभाग द्वारा उनकी तीसरी संतान को संतान शिक्षा भत्ता नहीं दिया जा रहा।

6. प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश के लिए प्रवेश फॉर्म के साथ जमा (मुंबई केंद्र से बाहर)/ अपलोड (मुंबई केंद्र के लिए) किए जाने वाले दस्तावेज

क. प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को निम्नवत् दस्तावेज जमा करने होंगे:

- प्री-प्रेप/ प्रेप/ कक्षा-I: नगरपालिका/ नगर निगम द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र या संबंधित क्षेत्र के राजस्व/ पंचायत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के तहत पृष्ठांकित पंचायत कार्यालय/ग्राम मुखिया/ ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र। जन्म प्रमाणपत्र की बजाए शपथपत्र के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- कक्षा II से X के लिए: छोड़कर आने वाले विद्यालय से पिछली कक्षा की प्रगति रिपोर्ट के साथ स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- कक्षा XI से X II के लिए: प्रवेश नीति और प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज संबंधित राज्य शिक्षा बोर्ड की आवश्यकताओं पर निर्भर होंगे।

ख. आवेदक के आधार कार्ड यदि उपलब्ध हो, की फोटोप्रति (माता-पिता के पहचान पत्र की सत्यापित प्रति के साथ) जमा की जाए।

ग. आबंटन आदेश/ पता प्रमाण (डी.ए.ई. कालोनी से बाहर निवास कर रहे आवेदकों के मामले में) की फोटोकॉपी/ स्कैन्ड कॉपी

नोट:

1. प.ऊ.वि. बच्चों (डी.ए.ई. वार्ड) को प्रवेश केवल आवासीय क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) के अनुसार दिया जायेगा। हालांकि, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था और इसके प्रतिनिधियों को विद्यालय में अध्ययन के दौरान प.ऊ.वि. विद्यार्थियों का किसी भी समय किसी केंद्र/ आवासीय कालोनी के प.ऊ.कें. विद्यालयों में स्थानांतरण/ अदला-बदली करने का अधिकार होगा।
2. ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल (2020-21) या ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदकों द्वारा दी गई कोई जानकारी यदि किसी भी चरण में गलत पाई गई तो प्रवेश निरस्त हो जायेगा।
3. यदि बच्चे का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आधार के लिए आवेदन करने का प्रमाण जमा करना होगा।
4. ऑनलाइन एडमिशन माध्यम से एडमिशन के लिए आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों को मूल रूप में शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के 10 दिनों के अंदर आबंटित विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
यदि प्रवेश परिपत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूप में कोई विसंगति पाई जाती है तो प्रवेश परिपत्र के अंग्रेजी रूप को अंतिम माना जायेगा।

प.ऊ.शि.सं. के बारे में सामान्य जानकारी के लिए कृपया www.aees.gov.in देखें। प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र सहित यह परिपत्र प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

संलग्नक: 1. प.ऊ.वि. बच्चों के लिए प्री-प्रेप से प्रेप कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र

2. प.ऊ.वि. बच्चों के लिए I से XII तक कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र

पी. लाहिरी
(सचिव)

सेवा में,

सभी प.ऊ.कें. विद्यालय/ कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
2. अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंध समिति, प.ऊ.कें.वि./कनि.महाविद्यालय
3. प्रमुख कार्मिक प्रभाग, भा.प.अ.कें. (व्यापक प्रचार हेतु अनुरोध सहित सूचना पट्ट के लिए 10 प्रतियाँ)
4. रजिस्ट्रार, टीआईएफआर, मुंबई- 400 005
5. मु.प्र.अ., भा.पा.बो. कार्यालय, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400 094
6. मु.प्र.अ., डीसीएस एंड ईएम, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094
7. अ. एवं प्र. नि., आई.आर.ई.एल., प्लॉट नं. 1207, एसवीएस रोड, प्रभादेवी, मुंबई, महाराष्ट्र- 400028
8. अ. एवं प्र. नि., यू.सी.आई.एल., मुरामडीह, पी.ओ.- सुंदरनगर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड-832107
9. अ. एवं प्र. नि., नाभिकीय ऊर्जा भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094
10. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
11. अवर सचिव, प्रशासन, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई - 400 001
12. प्रबंधक, कार्मिक, एनपीसीआईएल, वी.एस. भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094
13. प्रबंधक, कार्मिक, एनपीसीआईएल, कफे परेड, मुंबई-400 005
14. प्रबंधक, कार्मिक, एनपीसीआईएल, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094
15. प्रशासनिक अधिकारी-III, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
16. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीएस, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400 094
17. प्रशासनिक अधिकारी, एचबीसीएसई, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094
18. प्रशासनिक अधिकारी, ब्रिट, तुर्भे, नवी मुंबई-400703
19. प्रशासनिक अधिकारी, एईआरबी, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400 094
20. प्रधानाचार्य एवं प्रमुख, शैक्षणिक इकाई, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
21. उप-प्रमुख, शैक्षणिक इकाई, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
22. लेखा अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
23. प्रशासनिक अधिकारी-II, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
24. स.प्र.अधिकारी, (भर्ती एवं सतर्कता/ क्रय प्रकोष्ठ/वेतन/बिल), प.ऊ.शि.सं., मुंबई
25. डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ, प.ऊ.शि.सं.
26. मास्टर फाइल